राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी/डी-1/11/111 दिनांक 27/2/2011

:: आदेश ::

उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के सम्बन्ध में अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर द्वारा मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला में निर्माता मै0 पेरेन्टरल सर्जिकल्स लिमिटेड, असरवाड, दूधिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) द्वारा निर्मित I.V. Fluids के निम्नलिखित तीन बैच प्राथमिक जांच में culture report में positive पाये गये है :-

(i) RL Ringer Lactate Solution for Injection IP 500ml, Batch No. OD-0077
(ii) RL Ringer Lactate Solution for Injection IP 500ml, Batch No. ID-0002
(iii) D5 (Dextrose Injection IP) 500ml Batch No. 1A-0007

उक्त निर्माता द्वारा निर्मित औषधियों के उपयोग से हुई सम्भावित मौतों के क्रम में नमूनें लेकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के तहत परीक्षण के लिये भेजे गये हैं परन्तु प्रकरण की जांच के चलते एवं उक्त निर्माता द्वारा निर्मित दवा से भविष्य में अन्य किसी मरीज की मृत्यु न हो, अथवा उसे infection न हो इस दृष्टि से M/s. Parenteral Surgicals Ltd., At: Asarwad, Dudhia, Indore (MP) द्वारा निर्मित समस्त औषधियों की राजस्थान राज्य में खरीद, बिक्री व वितरण पर तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक के लिये रोक लगाई जाती है।

27/2

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी/डी-1/11/111 दिनांक 27/2/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :-

1. औषधि महानियंत्रक(भारत), एफ0डी0ए0भवन, सी0एच0ई0बी0 केम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद ।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा0 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राज0 जयपुर।
5. मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
6. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आर0एच0एस0डी0पी0, राज0 जयपुर।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
8. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
9. नियन्त्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) को भेजकर लेख है कि निर्माता स्तर पर केन्द्र सरकार व आपके संयुक्त दल द्वारा निर्माता के यहां की गई विस्तृत जांच के परिणामों से अवगत करावें एवं राजस्थान राज्य में उक्त निर्माता द्वारा बेची गई औषधियों का सम्पूर्ण विवरण drugcontrollerraj@gmail.com पर भी भिजवाने का श्रम करें ।
10. सचिव, एस0पी0ओ0, मुख्यालय।

क्रपु0उ0

11.निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

12.जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, मुख्यालय को उक्त आदेश प्रचारित/प्रसारित करवाने हेतु प्रेषित है।

13.समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।

14.समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

15.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

16.समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें ।

17. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा विभागीय website rajswasthaya.nic.in पर भी कृपया upload करें।

18.रक्षित पत्रावली।

27/2

औषधि नियंत्रक,

राजस्थान, जयपुर।